भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2538

उत्तर देने की तारीख : 05.08.2025

राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति

2538. श्री सु. वेंकटेशन:
श्री राहुल गांधी:
श्री टी. एम. सेल्वागणपति:
श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 60 प्रतिशत छात्रों को राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस) मिलने में अत्यधिक देरी की बात आई है;

(ख) यदि हाँ, तो समुद्रपारीय छात्रवृत्ति मिलने में अत्यधिक देरी का राज्य-वार क्या कारण है;

(ग) वंचित वर्ग के उन छात्रों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं जिनकी पढ़ाई बाधित हो रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार 2025-26 के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति के अंतर्गत चयनित सभी होनहार युवा उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का है और यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 2019 से अब तक एनओएस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों, अधिसूचित घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों और परंपरागत कारीगरों से संबंधित उम्मीदवारों का ब्यौरा और इनकी संख्या कितनी है और राज्य-वार संवितरित और उपयोग की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार वार्षिक भरण-पोषण भत्ते को संशोधित करने या बढ़ाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या यह सच है कि सरकार वित्तीय वर्ष (2026-2027) के दौरान योजना के मूल्यांकन के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (घ): अनुसूचित जातियों आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस) योजना के तहत चयन वर्ष 2025-26 के पहले दौर में चयनित सभी 106 उम्मीदवारों को अनंतिम अवार्ड लेटर जारी कर दिए गए हैं। योजना के अंतर्गत चयन वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ङ): वर्ष 2019 से लाभार्थियों और संवितरित वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और श्रेणी-वार विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(च) और (छ): एनओएस योजना 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अनुमोदित की गई है। योजनाओं की समीक्षा में, जिसमें वित्तीय सहायता के संघटक भी कवर किए जाते हैं, निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2538, जिसका उत्तर दिनांक 05.08.2025 को दिए जाने के लिए नियत है, के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित संलग्नक

योजना के अंतर्गत चयन वर्ष 2025-26 के लिए अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2025-26
1	अंडमान और निकोबार	0
2	आंध्र प्रदेश	7
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	0
5	बिहार	5
6	चंडीगढ़	2
7	छतीसगढ	2
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0
9	दिल्ली	7
10	गोवा	0
11	गुजरात	9
12	हरियाणा	12
13	हिमाचल प्रदेश	0
14	जम्मू एवं कश्मीर	0
15	झारखंड	0
16	कर्नाटक	7
17	केरल	4
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	11
21	महाराष्ट्र	12
22	मणिपुर	1
23	मेघालय	0
24	मिजोरम	0
25	नागालैंड	0
26	ओडिशा	2
27	पुदुचेरी	0
28	पंजाब	6
29	राजस्थान	2
30	सिक्किम	0
31	तमिलनाडु	1
32	तेलंगाना	3
33	त्रिपुरा	0
34	उत्तर प्रदेश	9
35	उत्तराखंड	2
36	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	106

<u>संलग्नक-II</u>

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2538, जिसका उत्तर दिनांक 05.08.2025 को दिए जाने के लिए नियत है, के उत्तर के भाग (ङ) में उल्लिखित संलग्नक

इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने वाले अनुसूचित जातियों, विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों से संबंधित लाभार्थियों की संख्या का, वर्ष 2019 से उन्हें दी गई वित्तीय सहायता के साथ, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26
		लाभार्थी (विदेश गए)	व्यय	लाभार्थी (विदेश गए)	व्यय	लाभार्थी (विदेश गए)	व्यय	लाभार्थी (विदेश गए)	व्यय	लाभार्थी (विदेश गए)	व्यय	लाभार्थी (विदेश गए)	व्यय	
1	आंध्र प्रदेश	0	0.00	4	2.26	0	0.00	0	0.00	3	1.67	3	2.98	चयनित 106 उम्मीदवारों को अनंतिम अवार्ड लेटर जारी कर दिए गए हैं और इन उम्मीदवारों को अभी अध्ययन के लिए विदेश जाना है।
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
3	असम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.80	0	0.00	
4	बिहार	0	0.00	0	0.00	1	0.92	1	0.11	1	0.40	2	0.91	
5	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
6	छत्तीसगढ	0	0.00	0	0.00	1	0.43	0	0.00	1	0.58	0	0.00	
7	दिल्ली	5	2.64	3	1.63	2	1.66	4	2.50	8	5.60	7	4.26	
8	गोवा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
9	गुजरात	0	0.00	1	0.74	4	1.52	8	4.07	6	3.88	12	7.33	
10	हरियाणा	1	0.68	3	1.77	7	1.96	2	1.38	3	3.01	1	0.42	
11	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.01	0	0.00	
12	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	1	0.70	0	0.00	0	0.00	1	0.41	2	1.27	
13	झारखंड	0	0.00	1	0.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
14	कर्नाटक	2	1.31	4	2.36	1	0.68	5	2.11	1	0.84	0	0.00	
15	केरल	1	0.67	4	1.74	4	2.12	3	1.68	3	1.55	4	2.11	
16	लद्दाख	0	0.00	0	1.56	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
17	मध्य प्रदेश	5	2.90	3	0.00	6	3.77	1	0.34	4	3.08	5	2.70	
18	महाराष्ट्र	20	10.90	28	19.73	43	2.34	56	29.27	68	43.65	11	12.00	
19	मणिपुर	1	0.40	0	1.38	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	

20	मेघालय	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
21	मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	नागालैंड	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
23	ओडिशा	1	1.27	2	1.38	2	2.53	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24	पंजाब	0	0.00	1	0.00	4	0.00	5	0.00	1	0.00	6	1.20
25	पुदुचेरी	0	0.00	0	0.81	0	2.91	0	2.25	0	0.70	2	4.26
26	राजस्थान	0	0.00	0	0.00	2	1.90	0	0.00	1	0.42	1	0.46
27	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
28	तमिलनाडु	2	0.35	5	6.04	7	4.97	3	1.05	4	3.41	4	2.38
29	तेलंगाना	1	0.31	3	1.43	2	1.42	1	1.18	1	0.39	4	1.97
30	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
31	उत्तर प्रदेश	1	0.31	2	0.58	9	5.23	7	3.16	6	2.41	9	7.04
32	उत्तराखंड	0	0.00	1	0.40	1	1.15	1	1.28	0	0.00	2	1.00
33	पश्चिम बंगाल	1	0.88	5	5.31	2	1.80	1	0.48	0	0.00	4	2.63
कुल		41	22.63	71	50.17	98	37.33	98	50.86	114	73.80	79	54.92

ऊपर उल्लिखित कुल राशि लाभार्थियों के संबंध में संस्वीकृत राशि को निरूपित करती है।

*****